भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

राज्य सभा

लिखित प्रश्न सं. 145

गुरूवार, 29 जनवरी, 2026/09 माघ, 1947 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इन्फ्लुएंसर प्रेरित पर्यटन सामग्रियों का विनियमन

145 डा. अशोक कुमार मित्तल:

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मंत्रालय का, विशेष रूप से पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील या प्रतिबंधित क्षेत्रों में, सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर्स द्वारा प्रसारित भ्रामक यात्रा-संबंधी सामग्री में वृद्धि से निपटने हेतु कोई उपाय प्रस्तावित है:

(ख) इन्फ्लूएंसर-प्रेरित यात्रा प्रचारों की प्रामाणिकता एवं सुरक्षा का सत्यापन करने के लिए वर्तमान में कौन-कौन से तंत्र विद्यमान हैं;

(ग) जनसामान्य के यात्रा व्यवहार को प्रभावित करने वाले यात्रा-सामग्री निर्माताओं के लिए अब तक किसी प्रमाणन व्यवस्था अथवा आचार-संहिता का प्रस्ताव न किए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) डिजिटल प्लेटफॉर्मों पर भ्रामक जानकारी तथा अनैतिक पर्यटन प्रचार का सामना करने के लिए किन-किन उपायों को अपनाया जा रहा है; और

(ङ) मंत्रालय द्वारा इस प्रकार की भ्रामक पर्यटन सामग्री को विनियमित करने के लिए डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्मों के साथ किस प्रकार के सहयोग की योजना बनाई गई है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) से (ङ): पर्यटन मंत्रालय ने डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर यात्रा संबंधी सामग्री में वृद्धि को ध्यान में रखा है। हालांकि, अनेक प्लेटफॉर्मों पर बड़ी संख्या में सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं और इन्फ्लूएंसर्स की मौजूदगी को देखते हुए, व्यक्तिगत सामग्री की निगरानी या विनियमन करना संभव नहीं है। मंत्रालय के पास इन्फ्लूएंसर्स द्वारा प्रेरित यात्रा प्रचारों की प्रामाणिकता या सुरक्षा को सत्यापित करने के लिए कोई अलग तंत्र नहीं है, क्योंकि ऐसी सामग्री उपयोगकर्ताओं द्वारा बनाई जाती है और विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्मों पर स्वतंत्र रूप से प्रसारित की जाती है।

इसके अलावा, पर्यटन मंत्रालय अपनी आधिकारिक वेबसाइट इन्क्रेडिबल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म (आईआईडीपी) और सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से यात्रा संबंधी जानकारी का प्रचार करता है।

*****